सरकार ने CAA के तहत नागरिकता देना शुरू किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **गृह मंत्रालय** ने घोषणा की कि सरकार ने **पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड** में [नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2024](#) के तहत **नागरिकता प्रदान करना शुरू** कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- 15 मई को, केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नई दिल्ली में उम्मीदवारों को नागरिकता प्रमाण-पत्र का प्रारंभिक बैच प्रस्तुत किया गया, जो दिल्ली में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित **नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024** के जारी होने के बाद किया गया।
- गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2024 को जारी नागरिकता संशोधन नियम, 2024 ने **CAA के कार्यान्वयन** का रास्ता साफ कर दिया है, जिसे **वर्ष 2019 में संसद द्वारा अनुमोदित** किया गया था।
  - दिशा-निर्देशों के अनुसार, **पाकिस्तान, अफगानिस्तान** और **बांग्लादेश** के **छह अल्पसंख्यक समूहों के प्रवासी** पूर्वव्यापी प्रभाव से CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- **CAA- 2019 के संशोधन** के तहत, जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुँचे थे और जिन्हें अपने देश में **"[धार्मिक उत्पीड़न](#) का सामना करना पड़ा था या धार्मिक उत्पीड़न की आशंका थी"** वे **नए कानून के तहत नागरिकता के लिये पात्र** हो गए।
  - इन प्रवासियों को **छह वर्ष के भीतर त्वरित भारतीय नागरिकता** प्रदान की जाएगी। संशोधन ने इन प्रवासियों के देशीकरण/नागरिकीकरण के लिये **निवास की आवश्यकता को ग्यारह वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष** कर दिया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/government-starts-granting-citizenship-under-caa